



सराहनीय कार्य

#OPERATION CLEAN

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 20.02.2024

इटावा पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते हुये चोर गिरोह के 02 सदस्यों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रयुक्त औजार किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 19/20.02.2024 की रात्रि को थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 02 व्यक्तियों को भरथना ओवरब्रिज के नीचे मन्दिर के पास से समय 02.05 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार व्यक्तियों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो फहीम ऊर्फ विहारी पुत्र शमशेर के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं दोनों व्यक्तियों के कब्जे से 01 प्लास, 01 पेंचकस, 01 लोहे की रॉड, 01 चाबियों का गुच्छा, 01 आरी की पत्ती तथा 01 टॉर्च, माचिस की डिब्बी एवं 01 मोबाइल वीवो कम्पनी बरामद किया गया। बरामद मोबाइल के सम्बन्ध में बताया कि यह मोबाइल मैने तथा फहीम ने मिलकर रेलवे माल गोदाम के सामने से ऑटो मे बैठे टैम्पो चालक की जेब से चुराया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 401/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1. फहीम ऊर्फ विहारी पुत्र शमशेर निवासी मोहल्ला गाडीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 19 वर्ष।**
- 2. हासिम पुत्र शब्बीर निवासी मोहल्ला गाडीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 16 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग:-

- 01. मु0अ0सं0 42/2024 धारा 401/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा।**

आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त फहीम उर्फ बिहारी

01. मु0अ0सं0 09/23 धारा 380/457/411 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद इटावा
02. मु0अ0सं0 31/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
03. मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
04. मु0अ0सं0 307/23 धारा 294 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद इटावा
05. मु0अ0सं0 307/23 धारा 294 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद इटावा
06. मु0अ0सं0 42/2024 धारा 401/411 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली ।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमन्वा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 प्लास
4. 01 पेंचकस
5. 01 लोहे का रॉड
6. 01 चाबी का गुच्छा
7. 01 आरी की पत्ती
8. 01 टॉर्च
9. 01 माचिस की डिब्बी
10. 01 मोबाइल वीवो कम्पनी

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 राजेश कुमार मौर्य, हे0का0 शमशुल हसन ।